उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-4532/नौ-5-15-108सा/2009
लखनऊ : दिनांक 31 अगस्त, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्टों का निस्तारण एक बड़ी समस्या है। विभिन्न प्रकार के उपचारों के आधार पर योजनाओं का सृजन कर अपशिष्टों के निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है। बायो गैस प्लान्ट के अधिष्ठापन के माध्यम से शुद्ध रूप से आर्गेनिक अपशिष्टों का निस्तारण कर जहां एक ओर समस्या का निदान संभव है, वहीं दूसरी ओर उपचार प्रक्रिया द्वारा जनित उत्पाद जैसे गैस एवं खाद इत्यादि की प्राप्ति से सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकती हैं। समान रूप से यह प्रक्रिया इनारोबिक डायजेशन सिस्टम पर आधारित है तथा शुद्ध कार्बनिक अपशिष्ट जैसे- बचे हुए भोज्य पदार्थ, मन्दिरों से निकले हुए पुष्प, मनुष्यों व जानवरों द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट, मृत जानवरों के मांस एवं अन्य कृषि अपशिष्टों का उपयोग कर प्रयोग में लायी जा सकती हैं। इस प्रक्रिया में तकनीकी संरचना का निर्माण कर प्रयुक्त अपशिष्टों से ज्वलनशील गैस व खाद उत्पादक के रूप में प्राप्त होता है। प्राप्त होने वाली गैस का प्रयोग भोजन बनाने व प्रकाश प्रज्वलित करने में भली प्रकार किया जा सकता है। शासनादेश संख्या-4941/नौ-5-13-108सा/09, दिनांक 21.11.2013 द्वारा बायो गैस संयन्त्रों के लगाये जाने पर बल देते हुए शासन स्तर से निर्देश भी प्रसारित किये गये हैं। अतः अनुकूल परिस्थितियों के आधार पर जहां आर्गेनिक अपशिष्ट निस्तारण हेतु पृथक् से उपलब्ध हो सकें, स्थलों/योजनाओं का चयन कर यथावश्यकता उनमें बायो डायजेस्टर इकाई लगाया जाना जनोपयोगी होगा।

2- उक्त के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के नागर निकायों में अनुकूल परिस्थितियों के आधार पर, जहां आर्गेनिक अपशिष्ट निस्तारण हेतु पृथक् से उपलब्ध हो सकें, स्थलों/योजनाओं का चयन कर यथावश्यकता उनमें **बायो गैस संयंत्रों/बायो डायजेस्टर इकाई** लगाए जाने हेतु एतद्द्वारा **इण्टरनेशनल बायो गैस इन्टरप्राइजेज, ओल्ड बांसमंडी, निकट-टी.जी. हास्टल, सीतापुर रोड, लखनऊ** को नामित किया जाता है।

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या-4532(1)/नौ-5-15-248सा/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश।
(6) प्रबंध निदेशक, उत्तर जल निगम, लखनऊ।
(7) निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उत्तर जल निगम, लखनऊ।
(8) निदेशक/प्रमुख, इण्टरनेशनल बायो गैस इन्टरप्राइजेज, ओल्ड बांसमंडी, निकट-टी.जी. हास्टल, सीतापुर रोड, लखनऊ।
(9) गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in